



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. रूपेश कुमार सिंह

Dr. Roopesh Kumar Singh

अधीक्षक : भगत सिंह छात्रावास

दिनांक : 19/10/2015

सूचना

भगत सिंह छात्रावास के सभी अंतःवासियों को सूचित किया जाता है कि-

1. आवंटित कक्ष में ही रहें। पूर्व लिखित अनुमति के बिना कक्ष परिवर्तन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. अवकाश पर जाते समय छात्रावास छोड़ने से पूर्व कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है।
3. 20 अक्टूबर 2015 तक छात्रावास शुल्क जमा कर शुल्क रसीद की छायाप्रति (अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति के विद्यार्थी कक्ष में रहने की सूचना) कार्यालय में अवश्य जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद शुल्क रसीद अथवा लिखित सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(डॉ. रूपेश कुमार सिंह)
19/10/2015